

सरकूलर नं0: अपमा / 2014-2016 / 278

दिनांक : 18-3-2016

## कृपया ध्यान दें वैट / केंद्रीय बिक्री कर रजिस्टर्ड सभी डीलर

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक माह के 21वें दिन तक वैट जमा करना अनिवार्य है। वैट जमा न करने पर दिल्ली वैट अधिनियम 2004 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, वैट पंजीकरण रद्द हो सकता है, इसके अलावा ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना वैट 21 मार्च तक अवश्य जमा करवा दें एवं विभागीय कार्यवाही से बचें।

---